न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या:— 66/2021

प्रार्थी:गण—

1. देशकंवर पत्नी श्री सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा
2. रेखाकंवर पत्नी श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. खुशालसिंह पुत्र फूससिंह जाति राजपूत निवासी धारणा
2. पूनमकंवर पत्नी रतनसिंह जाति जाति राजपूत निवासी धारणा
3. पुष्पाकंवर पत्नी विरदसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा
4. मालमसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा
5. रतनसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा
6. राजूकंवर पत्नी मालमसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा
7. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक पादरू
8. राजस्थान सरकार जरीये भुमि धारक तहसीलदार सिवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :—

1. **श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 8 एकतरफा**
3. **श्री खीमाबराम आकबल विप्रार्थी संख्या 7**

—: आदेश :—

दिनांक :—21.03.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 731 रकबा 05.9813 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा धारणा पटवार मण्डल धारणा तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी के खेत के उत्तरी सीमा से लगता खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 13.1685 हैक्टयर विप्रार्थीगण 1 ता 7 की खातेदारी की भूमि आई हुआ है जिसके माठ के किनारे होते होते तक प्रार्थीगण अपने खेत मे [illegible] विप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 730 की माठ पर [illegible] जाता है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण [illegible] हेतु नजदीकी एवं सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन [illegible] के संलग्न प्रस्तुत [illegible] नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:52:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

बरंग लाल उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2021/807 दिनांक 18.11.2021 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विप्रार्थी संख्या 7 की आरे से वकील श्री खीमाराम उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण सख्या 7 की ओर से जबाब पेश किया ।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 731 रकबा 05.9813 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा धारणा पटवार मण्डल धारणा तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी के खेत के उत्तरी सीमा से लगता खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 13.1685 हैक्टयर विप्रार्थीगण 1 ता 7 की खातेदारी की भूमि आई हुआ है जिसके माठ के किनारे होते होते तक प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते है जो आगे विप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 730 की माठ पर स्थित कटाण मार्ग तक जाता है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर गंभीरता से मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया गया तहसीलदार सिवाना ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि मौका फर्द दिनांक 06.10.2021 के संलग्न आंशिक नक्शा किश्तवार मे दर्शाए बरंग केसरिया के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवगमन हेतु दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है दर्शाये गये रास्ते में वर्तमान में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व/2021/807 दिनांक 18.11.2021 के संलग्न मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग केसरिया विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 730 के बदिशा दक्षिणी माठ–माठ रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:52:51 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ.स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 731 सरहद मौजा धारणा पटवार मण्डल धारणा में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत सरहद धारणा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

पटवार मण्डल धारणा के खसरा नम्बर 730 की दक्षिणी माठ पर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग केसरिया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग केसरिया अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को पत्र जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:52:51 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)